जावक क्रमांक 5710110
दिनांक 09/09/10

प्ररूप 2
(नियम 6 देखिये)
छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

क्रमांक संभाग–रायपुर / जिला–रायपुर / पं.क्र. 19873,

यह प्रमाणित किया जाता है कि " **पोदार एजुकेशन सोसायटी**" सोसायटी, जो " 2/120, सरकार निकेतन बैरन बाजार, रायपुर " तहसील रायपुर जिला . रायपुर मे स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 09/09/2010/ नौ/सितंबर/2010 को रजिस्ट्रीकृत की गई है ।

सहायक पंजीयक फर्मे एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग

(डी० एल० ध्रुव)
सहायक पंजीयक
सोसायटियों का रजिस्ट्रार
फर्मे एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

Certificate that this is TRUE-COPY of its Original Which I Attested

NOTARY C. P. SHARMA NOTARY RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No. 2931 GOVT. OF INDIA

C. P. SHARMA
NOTARY
RAIPUR (C.G.)
INDIA
REG. No.-2931

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

(3 देखिये)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम पोदार एजुकेशन सोसायटी होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय में 2/120, 'सरकार निकेतन', बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) स्थित होगा और इसका पता 2/120, 'सरकार निकेतन', बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) तहसील रायपुर जिला रायपुर होगा।
   नोटः समय समय पर अन्यत्र स्थानों पर क्षेत्रीय शाखाएं खोली जा सकेंगी।
3. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-
   (1) शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं शैक्षणिक संस्था (नये स्कूल कालेजों का प्रारंभ तथा क्रियान्वयन संचालन।
   (2) सतत् रिसर्च एवं डेवलपमेंट द्वारा समय समय पर शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के कार्य करना।
   (3) छात्रावास, कोचिंग क्लास, लायब्रेरी की व्यवस्था करना।
   (4) राष्ट्रीय एकता हेतु सांस्कृतिक साहित्य, सामाजिक तथा परिचर्चाओं का आयोजन करना।
   (5) बेरोजगारों, महिलाओं, अपंग के सहायतार्थ, समस्त शासकीय, योजनाओं का कार्य व क्रियान्वयन करना।
4. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों, समिति या शास.-निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पता तथा उप जीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :-

अनु.क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)	उपजीविका (4)
01	डॉ. पवन जी. पोदार	सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई -400006	उद्योगपति
02	श्री गौरव पी. पोदार	सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई -400006	उद्योगपति
03.	श्री हर्ष पी. पोदार	सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई -400006	उद्योगपति
04.	श्री चन्द्रशेखरन वी.	बी-307, प्रवीथा को-आप.हाउसिंग सोसायटी ओम काम्पलेक्स, ठाकुरवाड़ी, दीनदयाल रोड डोम्बीविली (प) थाने, 421202 (महाराष्ट्र)	सर्विस
05.	सुश्री हिना शाह	401, मैत्री को-आप.हाउसिंग सोसायटी बिमीसार नगर, गोरेगांव, मुम्बई.	सर्विस
06.	श्री सॉलोमन साईमन चोरडेकर	वाडिया इस्टेट, बिल्डिंग नं.8, रोड नं. 270, बैल बाजार, कुर्ला (वेस्ट) मुम्बई 400070	सर्विस
07.	श्री दीपक एस. छिब्बानिया	2/120, 'सरकार निकेतन', बैरनबाजार, रायपुर (छ.ग.) 492001	सर्विस

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

5. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है, हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये है, उपरोक्त प्रतिष्ठान–ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

अनु.क्र.	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता / पति के नाम सहित			हस्ताक्षर
	नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम / मोहल्ला / वार्ड / तह. / जिला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	डॉ. पवन जी. पोदार आ. गणेश पोदार		सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई -400006	
02	श्री गौरव पी. पोदार आ.डॉ. पवन जी. पोदार		सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई -400006	
03.	श्री हर्ष पी. पोदार आ.डॉ. पवन जी. पोदार		सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई -400006	
04.	श्री चन्द्रशेखरन वी. आ. श्री वेलायुधन		बी-307, प्रवीधा को-आप.हाउसिंग सोसायटी ओम काम्पलेक्स, ठाकुरवाड़ी, दीनदयाल रोड डोम्बीविली (वे) थाने, 421202 (महाराष्ट्र)	
05.	सुश्री हिना शाह आ. श्री अम्बालाल शाह		401, मैत्री को-आप.हाउसिंग सोसायटी बिम्बीसार नगर, गोरेगांव, मुम्बई.	
06.	श्री सॉलोमन साईमन चोरडेकर आ. श्री साईमन चोरडेकर		वाडिया इस्टेट, बिल्डिंग नं.8, रोड नं. 270, बैल बाजार, कुर्ला (वेस्ट) मुम्बई 400070	
07.	श्री दीपक एस. डिडवानिया आ. श्री सांवरमल डिडवानिया		2/120, 'सरकार निकेतन', बैरनबाजार, रायपुर (छ.ग.) - 492001	

Certificate that this is TRUE COPY of its Original Which I Attested

तारीख ....

प्रति,

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार
....
....

NOTARY C.P. SHARMA NOTARY RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No. 2031 GOVT. OF INDIA

C. P. SHARMA
NOTARY
RAIPUR (C.G.)
INDIA

साक्षी

हस्ताक्षर ....

नाम Shambhu Sarkar

पूर्ण पता 2/120, Sarkar Niketan Byron Bazar Raipur (C.G.) Pin 492001

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

5. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है, हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये है, उपरोक्त प्रतिष्ठान–ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

अनु.क्रं.	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति के नाम सहित			हस्ताक्षर
	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/मोहल्ला/वार्ड/तह./जिला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	डॉ. पवन जी. पोदार आ. गणेश पोदार		सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई – 400006	
02	श्री गौरव पी. पोदार आ.डॉ. पवन जी. पोदार		सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई – 400006	
03.	श्री हर्ष पी. पोदार आ.डॉ. पवन जी. पोदार		सिल्वर आर्च, 23वां माला, 66एल, जगमोहनदास मार्ग, नेपियनसी रोड, मुम्बई – 400006	
04.	श्री चन्द्रशेखरन वी. आ. श्री वेलायुधन		बी–307, प्रवीण को–आप.हाउसिंग सोसायटी ओम काम्पलेक्स, ठाकुरवाड़ी, दीनदयाल रोड डोम्बीविली (वे) थाने, 421202 (महाराष्ट्र)	
05.	सुश्री हिंना शाह आ. श्री अम्बालाल शाह		401, मैत्री को–आप.हाउसिंग सोसायटी बिमीसार नगर, गोरेगांव, मुम्बई.	
06.	श्री सॉलोमन साईमन चोरडेकर आ. श्री साईमन चोरडेकर		वाडिया इस्टेट, बिल्डिंग नं.8, रोड नं. 270, बैल बाजार, कुर्ला (वेस्ट) मुम्बई 400070	
07.	श्री दीपक एस. डिडवानिया आ. श्री सांवरमल डिडवानिया		2/120, 'सरकार निकेतन', बैरनबाजार, रायपुर (छ.ग.) – 492001	

Certificate that this is TRUE COPY of its Original Which I Attested

तारीख ....

प्रति,

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार

....

....

NOTARY C.P. SHARMA NOTARY RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No.-2031 GOVT. OF INDIA

C. P. SHARMA
NOTARY
RAIPUR (C.G.)

साक्षी

हस्ताक्षर

नाम Shambhu Sarkar

पूर्ण पता 2/120, Sarkar Niketan Byron Bazar Raipur (C.G.) Pin 492001

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

नियमावली

1. संस्था का नाम **पोदार एजुकेशन सोसायटी** होगा।
2. संस्था का प्रधान कार्यालय 2/120, 'सरकार निकेतन', बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) स्थित होगा और इसका पता 2/120, 'सरकार निकेतन', बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) तहसील रायपुर जिला रायपुर होगा।
   नोटः समय समय पर अन्यत्र स्थानों पर क्षेत्रीय शाखाएं खोली जा सकेगी।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र रायपुर संभाग होगा.
4. संस्था उद्देश्य ....
   (जो ज्ञापन पत्र में अंकित हैं वही लिखें)
   (1) **शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं शैक्षणिक संस्था (नये स्कूल कालेजों का प्रारंभ तथा क्रियान्वयन संचालन।**
   (2) **सतत् रिसर्च एवं डेवलपमेंठ द्वारा समय समय पर शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के कार्य करना।**
   (3) **छात्रावास, कोचिंग क्लास, लायब्रेरी की व्यवस्था करना।**
   (4) **राष्ट्रीय एकता हेतु सांस्कृतिक साहित्य, सामाजिक तथा परिचर्चाओं का आयोजन करना।**
   (5) **बेरोजगारों, महिलाओं, अपंग के सहायतार्थ, समस्त शासकीय, योजनाओं का कार्य व क्रियान्वयन करना।**
5. **सदस्यता** :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे,

   (अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में रुपये 5000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा.
   (ब) **आजीवन सदस्य** :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रुप में रुपये 2500/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा. कोई भी आजीवन सदस्य रूपये **2500/-** या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है.
   (स) **साधारण सदस्य** :- जो व्यक्ति 50/- माह रुपये 600/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा. साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया हैं जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छैः माह तक देय चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है.
   (द) **सम्मानीय सदस्य** :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा.
6. **सदस्यता की प्राप्ति** :- प्रत्येक व्यक्ति जो समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रुप में आवेदन करना होगा. ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र की स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा
7. **सदस्यों की योग्यता** :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-
   (1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के

Certificate that this is a TRUE COPY of its Original Which I Attested
NOTARY C. P. SHARMA NOTARY RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No. 2331 GOVT. OF INDIA
PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)
Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

नियमों का पालन की प्रतिज्ञा की हो. (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो (5) महिला मंडल/ महिला स्व-सहायता समूह में केवल महिला ही सदस्य बन सकेंगे।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देनी होगी.

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय
(2) वह तारीख जिसकों सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो.
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर

10. **(अ) साधारण सभा** :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे, साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी. परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह **अप्रेल** होगा तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा, संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगति की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** :- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रतिवेदन स्वीकृत करना (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन करना।

NOTARY C. P. SHARMA GOVT. OF INDIA

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

6

12. **प्रबंधकारिणी का गठन** :- (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष-1 (2) उपाध्यक्ष-1 (3) सचिव-1 (4) कोषाध्यक्ष-1

(5) संयुक्त सचिव - 1 एवं सदस्य -2

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि I 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य** :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियो, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर् संस्था के विधान में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :- अध्यक्ष, साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा, अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

1/ साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

2/ समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3/ समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना, उनका निरीक्षण करना अनियमितता पाये जाने पर उसी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

Certified that this is TRUE COPY of its Original Which Attested

NOTARY C. P. SHARMA NOTARY RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No.-2931 GOVT. OF INDIA

C. P. SHARMA NOTARY RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No.-2931

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

4/ सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 5000/- पांच हजार रुपये व्यय करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता** :- संस्था की समस्त विधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिसर में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 10000/- **दस हजार** रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधन** :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय -नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

23. विघटनः- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. सम्पत्ति :- संस्थाकी समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

25. बैंक खाता :-संस्था की समस्त निधि का किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिसर में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर, अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

Certified that this is TRUE-COPY / Attested

NOTARY C. P. SHARMA NOTARY RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No.-2931 GOVT. OF INDIA

C. P. SHARMA
NOTARY
RAIPUR (C.G.)
INDIA
REG. No.-2931

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015